2019/00152

18.04.2022

अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2021 पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरनिगरानीकर्ता सख्या 2 दिनांक 11.08.2014 को फौत हो गया है। जिसकी जानकारी निगरानीकर्ता को थी। मृतक व्यक्ति के विरूद्व निगरानी पेश नहीं की जा सकती। इसलिए निगरानी स्वतः खारिज हो चुकी है। अतः निगरानी इसी स्तर पर खारिज फरमायी जावें।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता द्वारा निम्न नजीरे पेश की गईः–

1. आर.बी.जे 2019 पेज– 767–772

RAJASTHAN TENANCY ACT 1955- SECTION 230- REVISION FILED AGAINST THE DEAD PERSON IS NOT MAINTAINABLE [राजस्थान अीनेन्सी एक्ट 1955–धारा 230– मृतक व्यक्ति के विरूद्व दायर निगरानी चलने योग्य नहीं है।] अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी में भी यही तथ्य अंकित है कि निगरानी मृत व्यक्तियों कम संख्या–1 राजेन्द्र दयाल तथा कम संख्या –15 घीसा पुत्र दौला के विरूद्व प्रस्तुत की गई जो काबिल निरस्तनीय है।

2. आर.आर.डी.2015 पेज– 151–153

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, धारा 230–प्रार्थी निगराकार द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.03.2009 के विरूद्व मण्डल के समक्ष निगरानी– विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी/वादीगण का वाद अधिनियम की धारा 88,89,188 के तहत डिक्री किया– अभिनिर्धारित– निगराकार द्वारा मृत व्यक्तियों के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत की गयी है जो विधिकरूप से संधारण योग्य/पोषणीय नहीं है– अतः निगरानी खारिज की गयी।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में जबाब अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि इस बात की जानकारी प्रार्थी के वकील को नहीं थी कि अप्रार्थी हेतराम की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थी का सायल ग्रामीण व अनपढ है और चक 39 एलएनपी में रहता है और मृतक बींझबायला में रहता है और कानून के बारे में प्रार्थी निगरानीकर्ता को ध्यान नहीं था वकील को लाकर कागज दे दिये। वकील द्वारा पट्टे में जो अंकित था उसके अनुसार निगरानी पेश कर दी। जानबूझकर कोई लापरवाही या गलती नहीं की है। हेतराम का वारिस विजय कुमार है जिसने पहले ही वकालतनामा देकर उपस्थिति दे दी है जो अप्रत्यक्ष रूप से पक्षकार हो गया है केवल मात्र निगरानी में आदेश पारित करना रह गया है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी अलग से आवेदन पत्र रिकॉर्ड पर लेने का दे रहा है। उक्त निगरानी का प्रकरण है जिसमें राज्य सरकार की शाक्तियां धारा 97 में राज्य सरकार की अदालतवाल को है। मौजूदा अपील नहीं है और निगरानी इस आधार पर खारिज नहीं की जा सकती आवेदन पत्र काबिले खारिजी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया तो उसमें वर्णित कारणों से मध्यनजर पाया कि प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी न्यायिक दृष्टि से स्वीकार किया जाना उचित है। क्योंकि गैरनिगरानीकर्ता हेतराम पुत्र गंगाराम का देहान्त दिनांक 11.08.2014 को हो चुका है। जिसकी जानकारी निगरानीकर्ता को सिविल वाद संख्या 41/2012 अनवान हेतराम वगैरा बनाम वकील सिंह वगैरा निर्णय दिनांक 18.03.2017 जो गैरनिगरानीकर्ता द्वारा दौराने बहस फार्म नम्बर 03 के साथ पेश किया से थी। निगरानीकर्ता को इस बात की जानकारी होते हुए भी मृतक हेतराम पुत्र गंगाराम के विरूद्व निगरानी पेश करना न्यायसंगत नहीं है। फलस्वरूप गैरनिगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर निगरानकर्ता द्वारा मृत व्यक्तिय के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत की है जो विधिकरूप से संधारण योग्य/पोषणीय नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भेजी जावें । पत्रावली फैंसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावें।

(भवानी सिंह पंवार)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर।